भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *348
सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

बेरोजगार स्नातक/गैर-स्नातक युवा

***348. सुश्री देबाश्री चौधरीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्नातक तथा गैर-स्नातक युवाओं की बेरोजगारी की अत्यधिक दर का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने बेरोजगार युवाओं को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रोजगार/नौकरियां प्रदान की गई है; और

(घ) देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

"बेरोजगार स्नातक/गैर-स्नातक युवा" के संबंध में सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 28-03-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 की नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर विभिन्न शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

	बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शिक्षा स्तर	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
निरक्षर	1.2	1.1	0.6
साक्षर व प्राथमिक तक	2.7	2.4	1.4
मिडल	5.5	4.8	3.4
माध्यमिक	5.7	5.5	4.1
उच्च माध्यमिक	10.3	9.2	7.9
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	19.8	17.2	14.2
स्नातक	17.2	16.9	17.2
स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक	14.6	14.4	12.9
माध्यमिक एवं उससे अधिक	11.4	11.0	10.1
अखिल भारत	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोतः एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकडे दर्शाते हैं कि सामान्य स्थिति के आधार पर स्नातकों को छोड़कर सभी शिक्षा स्तरों पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नातकों की बेरोजगारी दर लगभग स्थिर रही है।

(ग) : 2017-18 से 2019-20 के दौरान पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का वर्ष-वार/राज्य-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध-I पर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक उद्योग वितरण में सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों की वर्ष-वार अनुमानित संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30-06-2021 से बढ़ाकर 31-03-2022 कर दिया गया है। 12.03.2022 तक 1.35 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 51.95 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक, 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध-I

बेरोजगार स्नातक/गैर-स्नातक युवा के संबंध में लोक सभा के दिनांक 28.03.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

सामान्य स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)* आयु समूह: 15 वर्ष एवं उससे अधिक

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)		
		2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5
2	अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3
3	असम	43.7	43.4	43.2
4	बिहार	35.5	36.4	39.7
5	छत्तीसगढ	62.4	61.2	65.4
6	दिल्ली	42.7	44.5	43.3
7	गोवा	42.9	45.9	47.3
8	गुजरात	47.4	49.7	54.7
9	हरियाणा	41.7	41.9	42.9
10	हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5
11	जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5
12	झारखंड	41.7	44.9	53.6
13	कर्नाटक	49.1	49.3	53.1
14	केरल	41.2	44.9	45.3
15	मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7
16	महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7
17	मणिपुर	42.5	44.3	45.5
18	मेघालय	62.3	61.8	58.6
19	मिजोरम	46.4	45.6	50.7
20	नागालैंड	32.8	38.1	44.8
21	ओड़िशा	44.9	47.6	51.9
22	पंजाब	42.9	44.2	47.8
23	राजस्थान	48.2	50.0	55.0
24	सिक्किम	58.7	61.1	68.8
25	तमिलनाडु	51.0	51.4	55.3
26	तेलंगाना	49.8	50.6	55.7
27	त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6
28	उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5
29	उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1
30	पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8
32	चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5
33	दादरा और नगर हवेली	66.3	68.6	72.2
34	दमन और दीव	63.2	55.1	64.5
35	लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0
36	पुड्डुचेरी	37.8	47.8	47.7
37	लद्दाख	-	-	62.7
	अखिल भारत	46.8	47.3	50.9

** कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।*

स्रोत: पीएलएफएस रिपोर्ट, एमओएसपीआई।

अनुबंध-II

बेरोजगार स्नातक/गैर-स्नातक युवा के संबंध में लोक सभा के दिनांक 28.03.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

व्यापक उद्योग वितरण (सभी आयु हेतु) में सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों की अनुमानित संख्या

(करोड़ में)

एनआईसी- 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग वितरण	2017-18	2018-19	2019-20
कृषि	20.03	19.86	23.27
खनन और उत्खनन	0.19	0.20	0.15
विनिर्माण	5.70	6.12	6.24
विद्युत, जल आदि	0.28	0.28	0.35
निर्माण	5.70	5.86	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	5.94	6.39	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	2.78	2.99	3.15
अन्य सेवाएं	6.51	7.05	6.71
समस्त	47.14	48.76	53.55

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण